अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस

2018-00135RAAJu2018-011RTA225 Malaram etc Vs State n Ors

1. मालाराम पुत्र हरजीराम माली
2. पुखराम पुत्र हरजीराम माली
3. भंवरलाल पुत्र रामदीन माली
4. तीलाराम पुत्र रामदीन माली
5. जवरीलाल पुत्र रामदीन माली
6. हमीराराम पुत्र रामदीन माली
7. जोधाराम पुत्र शिवजी माली
8. चिमनाराम पुत्र शिवजी माली
9. शंकरराम पुत्र पेमाराम माली
10. मांगीलाल पुत्र श्रीराम माली
11. रामरख पुत्र श्रीराम माली
12. बाबूलाल पुत्र भागीरथ माली
13. मालाराम पुत्र भागीरथ माली
14. बद्रीराम पुत्र घमण्डाराम माली
15. चन्द्राराम पुत्र सादुलराम माली

निवासीगण सियारा, तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
2. कंवराराम पुत्र जालाराम माली
3. पदमाराम पुत्र जालाराम माली
4. ओमाराम पुत्र रामदीन माली
5. बक्साराम पुत्र रामदीन माली

निवासीगण सियारा, तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर पीपाडशहर दिनांक 12 जनवरी 2018 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 133/2016 तहसीलदार पीपाडशहर (भूमिधारक) बनाम मालाराम आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार एवं श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्तागण-अपीलाण्ट्स

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

श्री प्रेमकुमार देवडा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो से पॉच

नि र्ण य

दिनांक : 04 मार्च 2020

अपीलाण्ट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 133/2016 तहसीलदार पीपाडशहर (भूमिधारी) बनाम मालाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 12 जनवरी 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 जनवरी 2018 को पेश की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर जाहिर किया कि मौजा सियारा स्थित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 314 रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा चाही दोयम संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें से 3 बीघा भूमि में उपरोक्त खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 से 20 द्वारा बजरी का अवैध खनन कार्य किया जाना पाया गया जो कृषि भूमि क्षेत्र के लिए हानिप्रद एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के प्रतिकूल है, अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश कर जाहिर किया गया अप्रार्थीगण हर साल रामदेवरा के पास कुऍं इजारे पर लेकर कृषि कार्य करते है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में तीन बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा किन व्यक्तियों के रूबरू अवैध खनन का कार्य किया जाना पाया गया, नहीं बताया है। अवैध खनन सरकार द्वारा नियुक्त ठेकेदार, बजरी भूमाफिया व सियारा ग्राम के कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है, जो नदी में से अवैध खनन एवं खसरा संख्या 315 गैरमुमकिन गोचर में से अवैध खनन करते हुए वादग्रस्त आराजी में से भी अवैध खनन कर लेते है। वस्तुतः खसरा संख्या 314 एवं गैरमुमकिन गोचर खसरा संख्या 315 के मध्य कोई स्थायी सीमा नहीं है एवं पटवारी ने फर्द मौका रिपोर्ट खसरा संख्या 314 का माप करना नहीं दर्शाया है और न ही फर्द मौका पर किसी मोतबिर के हस्ताक्षर ही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 जनवरी 2018 स्वीकार कर लिया गया जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा धारा 177 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश किया गया था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के लिए आगे की कार्यवाही प्रार्थनापत्र को दावे में तब्दील कर उसी अनुसार विचारण किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेशात्मक प्रावधान को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में कोई शहादत नहीं कराई गयी और पटवारी की इकतरफा रिपोर्ट को आधार मान कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 314 के पास ही खसरा संख्या 315 गैरमुमकिन गोचर भूमि है तथा एक तरफ नदी भी है। वादग्रस्त आराजी और उक्त गोचर भूमि व नदी के मध्य कोई स्थायी सीमा-रेखा नहीं है। बजरी माफिया द्वारा रात्रि के समय उक्त गैरमुमकिन गोचर एवं नदी में से बजरी का अवैध खनन किया जाता है और साथ में वादग्रस्त आराजी में भी उससे लगते कुछ भाग पर खनन कर लिया जाता है। जिसकी समय-समय पर संबंधित सक्षम अधिकारी वर्ग से शिकायत भी की गयी, मगर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। अधिवक्तागण-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि अप्रार्थी जुगाराम का देहान्त सन् 2017 में हो चुका था, मगर उसके विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लिये बिना ही मृतक पक्षकार के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

जबाब में रेस्पो. संख्या एक की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए आलौच्य अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2 से 5 ने अधिवक्तागण-अपीलाण्ट्स की बहस का समर्थन किया और अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से पाया जाता है कि अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश कर जाहिर किया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 314 के पास ही खसरा संख्या 315 गैरमुमकिन गोचर भूमि है तथा एक तरफ नदी भी है। वादग्रस्त आराजी और उक्त गोचर भूमि व नदी के मध्य कोई स्थायी सीमा-रेखा नहीं है। बजरी माफिया द्वारा रात्रि के समय उक्त गैरमुमकिन गोचर एवं नदी में से बजरी का अवैध खनन किया जाता है और साथ में वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से में भी खनन कर लिया जाता है। यानि धारा 177 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश किया गया था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के लिए **आगे की कार्यवाही प्रार्थनापत्र को दावे में तब्दील कर उसी अनुसार किया जाना आवश्यक था।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में कोई शहादत नहीं ली और पटवारी की इकतरफा रिपोर्ट को आधार मान कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रकरण के निस्तारण हेतु निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा बहस के दौरान जो शपथपत्र अप्रार्थीगण मालाराम पुत्र भागीरथ माली, जवरीलाल पुत्र रामदीन माली, जोधाराम पुत्र शिवजी माली, बाबुलाल पुंत्र भागीरथ माली, व अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या चार ओमाराम पुत्र रामदीन माली की ओर से पेश किये गये है, उनके परिप्रेक्ष्य में तथा पटवारी हळका की इकतरफा एवं अपूर्ण रिपोर्ट जिसमें अवैध खनन बाबत विशिष्ट एवं समुचित नाप तक नहीं लिखे गये है, को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 जनवरी 2018 अपास्त किया जाता है। साथ ही अपीलाण्ड्स एवं रेस्पो. संख्या 2 से 5 को पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 314 रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा सियारा चाही दोयम के किसी भी भू-भाग पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भविष्य में अवैध बजरी खनन नहीं करेंगे और कोई अन्य को भी नहीं करने देंगे, इस संबंध में पूर्ण सतर्कता बरतेंगे। इसके उपरान्त भी यदि अवैध खनन किसी व्यक्ति द्वारा कर लिया जाता है तो उसकी अविलम्ब लिखित सूचना एफ.आई.आर. संबंधित पुलिस थाना में कराने के साथ-साथ, इसकी सूचना खनिज विभाग, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के समक्ष भी पेश करेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/3/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर